न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/13/2019

तौफीक उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लाडमका तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.08.2019 प्रकरण संख्या 11/2019 सरकार बनाम तौफीक अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 21.10.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.08.2019 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय तरीके से प्राकृतिक के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्व है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी कर जबाब चाहे जाने पर जबाब मय सबंधित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र सहित दिया गया । तहत न्यायालय द्वारा प्रार्थी के जबाब

जिला कलक्टर
भरतपुर राज0

को कन्सीडर नही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि नियम विरूद्व है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आरोप की जांच में निरीक्षण किये गये राशनकार्डो में वितरण बाबत कोई इन्द्राज नही होने का आरोप लगाया है वह कुछ शिकायतकर्ताओं ने सरपंची चुनाव की रंजिशवश द्वेषतापूर्ण भावना से वक्त जांच राशनकार्डो में राशन के बाबत इन्द्राज किये गये पेजों को निकालकर प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त शिकायतकर्ताओं को नियमानुसार वितरण कर उनका इन्द्राज राशनकार्डो में किया गया था। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आरोपों में उपभोक्ताओं के बार–बार अगूंठा लगवाया जाना व सामग्री का धोखे से वितरण दर्शाना बताया गया हैं जो कि पूर्णरूपेण गलत व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को पोश मशीन के द्वारा राशन वितरण किया जाता है। जिसमें किसी भी प्रकार से कोई गडबडी किया जाना सम्भव नही है। राशन वितरण का क्षेत्र काफी दूर–दराज में होने के कारण नेटवर्क की परेशानी से पोश मशीन का सर्वर कनेक्ट नही होने के कारण उपभोक्ताओं के कई बार अगूंठे लगवाने पडते है। बायोमैट्रिक सत्यापन होने के बाद ही उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण कर दिया जाता है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि तहत न्यायालय में प्रस्तुत जबाब के समर्थन में शौकत पुत्र फज्जर, आमिना पत्नी मुश्ताक, आशिक खान पुत्र इदरीश, राहिल पुत्र निजर खां एवं सहरना पत्नी उसमान का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे व अन्य उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया था किन्तु तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। शिकायतकर्त्ताओं द्वारा महज चुनावी रंजिश होने के कारण शिकायत की गई है। अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में कोई अनियमितता नही की गई है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत किये पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने की प्रार्थना की है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि उपभोक्ताओ को गेहूं व कैरोसीन न देकर पोश मशीन से अंगूठा लेना व राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत के सबंध में जांच की गई जांच में पाया कि डीलर द्वारा आठ 8 उपभोक्ताओं के माह दिसम्बर 2018 व फरवरी 2019 में दो माह के गेहूं का ट्रान्जेक्शन कर एक माह का गेहूं का वितरण करना तथा गेहूं के साथ में कैरोसीन का ट्रान्जेक्शन कर उपभोक्ताओं को कैरोसीन नही देने तथा पोश मशीन पर बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त भी उपभोक्ताओं को राशन वितरण नही करने एवं पोश मशीन से ट्रान्जेक्शन के अनुसार उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में इन्द्राज नही कर अनियमितता की गई है। राशन डीलर द्वारा पोश मशीन में ट्रान्जेक्शन करने के लिए उपभोक्ताओं के अगूंठा लगवाकर राशन वितरण होना दर्शाया है जबकि उनके राशनकार्डो में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

उक्त वितरण का इन्द्राज नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को राशन वितरण न कर उनकी खाद्य सामग्री की कालाबाजारी की है। अपीलाधीन आदेश नियमानुसार पारित किया गया है जो कि उचित है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच निरीक्षणकर्त्ता द्वारा शिकायतकर्त्ताओं के अलावा किसी भी स्वतन्त्र गवाह के बयानात नही लिये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2019 पर स्वंय डीलर के भी हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों की सत्यता की जांच भी तहत न्यायालय द्वारा नही की गई है। अपीलान्ट को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी कोई मौका नही दिया गया है। जो विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से समर्थन योग्य नही रहता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर प्रकरण में पुनः सुनवाई कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करे तब तक डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 21.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर